बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2018/निगरानी

निग-3159/2018/छतरपुर/भू.रा.

नि.उ. स्वती ... 24-5-18

द्वारा आज दि. 24-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन
निवासी ग्राम घुवारा तहसील घुवारा जिला
छतरपुर

——— निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1— श्रीमती मीरा पत्नी श्री मथुरा प्रसाद सोनी
निवासी ग्राम घुवारा तहसील घुवारा जिला
छतरपुर

——— रिस्पोन्डेन्ट

2— सौरभ जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन
3— अंकित जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन
निवासी ग्राम घुवारा तहसील घुवारा जिला
छतरपुर

—— परफोर्मा रिस्पोन्डेन्ट

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी 11—5—2018 पारित न्यायालय संभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बडामल्हार जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 59/अपील/16—18 जिसके द्वारा विद्ववान न्यायालय द्वारा रिस्पोन्डेन्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 44 में प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 47 भूराजस्व संहिता एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार कर अपील पेश करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया गया

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी निम्नांकित प्रस्तुत है :—

1— यहकि, रिस्पोन्डेन्ट द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 44 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता के अंतर्गत विद्ववान न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व

(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3159/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-06-2018	आवेदक की ओर से श्री सौरभ जैन, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकरी बडामलहरा जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 11-05-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक को पूर्व में जारी कथित आदेश की जानकारी नहीं थी क्योंकि पंजी पर आदेश पारित किया गया था । चूंकि अनावेदक को आदेश की जानकारी नहीं रही थी इस कारण अपील करने में हुआ विलम्ब माफी योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	